न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 05/2008 G.C.M.S. No. 2008/00007 दर्ज दिनांक : 26.04.2008

अपीलार्थिगण:

1. खीमीदेवी पत्नि मेहराजी
2. सणगारीदेवी पत्नि अमराजी
3. चम्पादेवी पत्नि रणछोड़जी तमाम जाति चौधरी, निवासीगण पीपरला की ढ़ाणी, तहसील आहोर, जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. जमनादेवी बेवा सोनिया
2. वालाराम पुत्र सोनिया, जाति चौधरी, निवासीगण पीपरला की ढ़ाणी, तहसील आहोर, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी आहोर के राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 151/2006 बअनवान जमनादेवी आदि बनाम खीमीदेवी आदि में पारित आदेश दिनांक 31.01.2008

उपस्थित–

1. श्री शंभूदान आशिया, विद्वान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित, श्री मुकेश राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट

निर्णय

दिनांक: 12.12.2024

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी आहोर के राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 151/2006 बअनवान जमनादेवी आदि बनाम खीमीदेवी आदि में पारित आदेश दिनांक 31.01.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेंट वादी ने एक वाद अंतर्गत धारा 187 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी आहोर के न्यायालय में पेश कर सरहद मौजा पीपरला की ढ़ाणी तहसील आहोर में स्थित भूमि खसरा संख्या 1327/944 रकबा 0.48 हैक्टेयर पर से अपीलांट प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा दिलाने का निवेदन किया। इस वाद के साथ ही धारा 212 राजस्थान अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश कर अपीलांट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा चाही। माननीय अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी आहोर ने रेस्पोंडेंट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर दी। जोकि सर्वथा न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है। चूंकि अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश में उसके आवश्यक तत्वों यथा प्रथमदृष्टया मामले, सुविधा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

का संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति का विवेचन करना होता है। अपीलाधीन आदेश में इन आवश्यक तीनों शर्तों में से किसी का भी कोई वर्णन विवेचन अधीनस्थ द्वारा नहीं किया गया है तथा न ही यह बताया गया है कि उपरोक्त शर्तें किस प्रकार प्रार्थीगण रेस्पोंडेंट के पक्ष में है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण रेस्पोंडेंट स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आये तथा उन्होंने महत्वपूर्ण तथ्य को न्यायालय से छुपाया है। इन्हीं रेस्पोंडेंट ने पूर्व में इसी भूमि बाबत इन्हीं पक्षकारों–अपीलांट के विरूद्ध एक वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था, जिसमें माननीय उपखण्ड अधिकारी आहोर ने प्रार्थना पत्र पर विशद आदेश पारित करते समय माना है कि "इससे स्पष्ट होता है कि दावा दायर करने के समय प्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं था।" इस प्रकार उक्त भूमि के संबंध में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू भी रेस्पोंडेंट प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होने से उनका प्रार्थना पत्र संख्या 15/2006 दिनांक 04.08.2006 को ही खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेश दिनांक 04.08.2006 में माननीय न्यायालय ने माना था कि मौके पर अपीलांट अप्रार्थीगण की दीवार 175 फीट लंबी व 6 फीट ऊंची एवं मौका दिनांक 11.03.2006 से एक साल पहले की बनी हुई मौजूद है तथा दीवार भी अपीलांट के पक्ष के तरमीमशुदा भाग में ही बनी हुई हैं तथा प्रार्थी रेस्पोंडेंट ने उक्त दीवार का उल्लेख प्रार्थना पत्र में नहीं किया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण रेस्पोंडेंट हर बार वास्तविक तथ्य छिपाकर तथा मनगढ़ंत झूठे तथ्य दर्शाकर प्रार्थना पत्र पेश कर रहे हैं। मौके पर दीवार व निर्माण, भूमि खरीद समय दिनांक 03.12.2004 के समय का ही हैं। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय कानूनी व वाक्याती तथ्यों को दरकिनार कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जोकि सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उक्त जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. रेस्पोंडेंट वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र बाबत कब्जा दिलाने का प्रस्तुत करते हुए उसके साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 31.01.2008 को स्वीकार किया जाकर अपीलांट अप्रार्थीगण को पाबंद किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-जालौर

2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक तीन महत्वपूर्ण बिंदु अर्थात प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का न तो विस्तृत विवेचन किया एवं न ही उभयपक्ष के लिखित कथनों व जवाब, बहस, संबंधित वादपत्र, वांछित अनुतोष, संगत विधिक प्रावधानों आदि के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार का विवेचन किए बिना एवं सहकारण विनिश्चय अभिलिखित किए बिना केवल यह अंकित करते हुए कि दस्तावेज के अनुसार अप्रार्थीगण ने बेचान की गई भूमि के अलावा भूमि पर कब्जा किया है, ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक तीनों शर्तें प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। हमारे विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना परीक्षण एवं बिना दस्तावेजी आधार तथा बिना विधिक परीक्षण किए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसका किसी भी दृष्टि से समर्थन नहीं किया जा सकता।

3. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णीत होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
पाली कार्यालय

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली